न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **23/2012** (आवंटन निरस्ती)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

श्री भेरा पिता कूका मीणा निवासी नयाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....**विपक्षी**

प्रार्थनापत्रः– अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः– 1– श्री मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांकः 12.09.17

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी को दिनांक 27.11.78 को मौजा नयाखेड़ा की बिलानाम आराजी संख्या 24 रकबा 4 बिघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 13 से विपक्षी के नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी से अंकन हुआ। जिसका बटा नम्बर 24/5 दर्ज हुए। परन्तु नवीन सेटलमेंट प्रक्रिया में विपक्षी का उपरोक्त भुमि पर कब्जा नहीं होने से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रेकार्ड में उक्त भुमि बिलानाम दर्ज कर दी गई। आवंटीत भूमि पर विपक्षी का कब्जा नहीं होने एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से विपक्षी को आवंटीत साबिक आराजी संख्या 24 में रकबा 4 बिघा भुमि का आवंटन निरस्त कराना फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.11.78 को मौजा नयाखेड़ा की बिलानाम आराजी संख्या 24 में 4 बिघा भूमि का आवंटन हुआ। जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद जरिये नामान्तरकरण संख्या 13 से किया गया। जिसके बटा नम्बर 24/5 दर्ज हुए। परन्तु मौके पर मुल आवंटी का कब्जा नहीं होने से नवीन सेटलमेंट में इस भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी गई। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने, आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने से आवंटन को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मौके पर आवंटीत भूमि विपक्षी के कब्जे में ही हैं। विपक्षी द्वारा इस भूमि का उपयोग उपभोग किया जाता रहा हैं। सेटलमेंट द्वारा उक्त भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थी द्वारा एक इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.02.09 प्रकरण संख्या 226/07 प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती में यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती हैं। इस आशय के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर के न्यायालय में विपक्षी द्वारा पुनः की गई। न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14. 02.11 प्रकरण संख्या 47/09 अपील एल आर एक्ट/उदयपुर में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को पुनः प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये गये कि राजस्व अभिलेख की पुनः संक्षिप्त जॉच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय में दिये गये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा ऐसा नहीं कर तहसीलदार गिर्वा को यह आदेशित किया कि नियमानुसार आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जावें। जिसके फलस्वरूप तहसीलदार गिर्वा द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) का प्रस्तुत कर आवंटन निरस्ती चाहा गया हैं। परन्तु अपने प्रार्थना पत्र में

तहसीलदार गिर्वा द्वारा यहॉ कही पर भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि क्या यह भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। चुंकी साबिक आराजी संख्या 24 बहुत बड़ा रकबा था। संभवतः इस आराजीयात का आंशिक भाग वन विभाग को हस्तान्तरित किया गया हो परन्तु जो भुमि विपक्षी को आवंटीत हुई इसका वन विभाग को हस्तान्तरण हुआ है ऐसा कही पर भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया हैं। प्रथम दृष्ट्या यह प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का हैं। तहसीलदार गिर्वा को भी यह चाहिये था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के समक्ष स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर विपक्षी के नाम भूमि इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करवायी जाकर विपक्षी के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। जबकि तहसीलदार गिर्वा द्वारा ऐसा नहीं कर मात्र आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी इतिश्री कर ली गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय में दिये गये ऑब्जर्वेशन की रोशनी में तहसीलदार गिर्वा एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को स्पष्ट आदेश प्रदान करें कि विपक्षी के नाम नियमानुसार इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) में कही पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यह भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गई हैं। मात्र सेटलमेंट के दौरान भूमि बिलानाम दर्ज हो गई। मौके पर विपक्षी का कब्जा नहीं हैं एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। इस बात को लेकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। परन्तु मेरा मानना है कि यदि प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं होता तो उसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया जाता और नाही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अपील अति. सम्भागीय आयुक्त उदयपुर के न्यायालय में की जाती। यानिकी उसका कब्जा आवंटीत भूमि पर रहा हैं।

जहॉ तक तहसीलदार गिर्वा जो कि भूमिधारी भी है उसका यह दायित्व है कि जो न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक

14.02.11 में ऑब्जर्वेशन किये गये है उनकी पालना भूमिधारी होने के नाते करवायी जाकर नये सीरे से पुनः कार्यवाही अमल में लाकर विपक्षी की आवंटीत भूमि की इन्द्राज दुरूस्ती करा उसके खाते में दर्ज करावें। चूंकि विपक्षी अनुसूचित जनजाती का अनपढ़ एवं कानुन को नहीं समझने वाला व्यक्ति है ऐसे असहाय व्यक्ति को आवश्यक सहयोग देकर विधिवत इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करवा बाद इन्द्राज दुरूस्ती विपक्षी के खाते आवंटीत भूमि दर्ज की जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर दिये गये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इन्द्राज दुरूस्ती की आवश्यक कार्यवाही करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर